मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु० शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 1992 में "प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959" के तहत एक अधिसूचना जारी की है जिसमें संरक्षित सीमाओं से 100 मी० तक के तथा इसके समीपस्थ अथवा इससे लग हुए 200 मी० तक के क्षेत्र को खनन-कार्य और निर्माण-कार्य, दोनों कार्यों के लिए क्रमश: निषिद्ध तथा विनियमित घोषित किया गया है । इस संशोधन के अनुसार, केन्द्रीय संरक्षणाधीन, जन्तर मन्तर तथा अन्य स्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति को खनन-कार्य या निर्माण-कार्य करने की अनुमति नहीं है ।

Seminar of financial and educational experts

8417. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a seminar of 50 financial and educational experts of the capital was organised at the University of Delhi by the All India Research Scientists Association recently;

(b) whether they have stressed upon the need for a national policy of university funding based on university industry interaction; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KM. SELJA): (a) to (c) According to the information received from University of Delhi a seminar on the subject was organised and most of the participants were of the view that though it is the constitutional and social responsibility of the Government to maintain all educational institutions, but universities should generate additional resources for developmental needs from outside sources like NRIs, Industries Endowments, Alumini, consultancy etc... The UGC also favours encouragement of generation of additional resources by the Universities.

हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

8418. श्री ईश दत्त यादव :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हिन्दी प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कितनी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ख) इन योजनाओं को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु० शैलजा) : (क) और (ख) सरकार हिन्दी भाषा की प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित सात विस्तृत योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं :—

(1) हिन्दी की प्रोन्नति, जिसमें प्रकाशन भी शामिल है, के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना । वर्ष 1994-95 के दौरान हिन्दी के 162 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई ।

(2) गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण । वर्ष 1994-95 के दौरान गैर हिंदी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति/प्रशिक्षण के लिए 575.20 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ।

(3) विदेशों में हिंदी का प्रचार, वर्ष 1994–95 के दौरान, सरकार ने 41 विदेशी छात्रों को इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय हिंदी संस्थान के आगरा स्थित मुख्यालय में हिन्दी अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की गई । विदेशी छात्रों के लिए एक सामासिक हिंदी पाठ्यक्रम, संस्थान के दिल्ली केन्द्र में भी आयोजित किया गया जिसमें 45 विदेशी छात्रों ने भाग लिया ।

(4) विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकों का हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन वर्ष 1994–95 के दौरान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्डो, अकादमियों/विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकों के हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन के लिए 14 लाख रुपए संस्वीकृत किए गए ।

(5) पत्राचार पाठ्यक्रमों, द्विभाषी तथा त्रि-भाषी शब्दकोशों के उत्पादन इत्यादि के माध्यम से हिंदी का सम्पर्क भाषा के रूप में विकास । वर्ष 1994–95 के दौरान 15164 व्यक्तियों को अंग्रजी, तमिल, मलयालम तथा बंगला भाषाओं के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रमों के द्वारा हिंदी पढ़ाई गई । तदनन्तर, कई हिन्दी आधारित द्विभाषी शब्दकोश, त्रिभाषी शब्द कोश तथा एक बहुभाषी शब्द कोश प्रकाशित किए गए ।

(6) हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का विकास अब तक विभिन्न विषयों के 5.5 लाख शब्दों का निर्माण तथा प्रकाशन किया गया ।

(7) गैर हिंदी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सेवारत शिक्षकों के लिए हिंदी में प्रशिक्षण प्रदान करना । वर्ष 1994–95 के दौरान, गैर हिंदी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति 139 सेवारत हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया ।

Assistance to Karnataka under non-formal education schemes

8419. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the projects under non-formal education scheme for which Government provided assistance to States;

(b) whether Karnataka has not been provided with any assistance under this scheme from 1989-90 onwards; and

(c) whether Government will consider providing assistance to Karnataka under non-formal education schemes?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KM. SELJA): (a) to (c) The scheme of Non-Formal Education (NFE) covers the ten enducationally backward States, namely, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, U.P. and West Bengal. The scheme also covers urban slums, hilly, tribal & desert areas and projects for education of working children in States other than the educationally backward States. Central assistance is provided both to States/U.T. Governments as well as to voluntary organisations. As on date, Central Assistance has been provided for 1660 NFE Centres being operated by 8 voluntary organisations in Karnataka. Proposals conforming to parameters of the programme are eligible for assistance.

Working womens hostel in Karnataka

8420. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of hostels for working women started in Karnataka, district-wise;

(b) what is the total intake capacity of the each hostel; and